न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/163)

प्रकरण संख्याः– 104/2025
तारीख दायरः– 07/10/2025
निर्णय दिनांकः–11/11/2025

उनवान

1. संगीता देवी पत्नी गणेशलाल निवासी निमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. मूलाराम पुत्र नारू निवासी मालियों का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. बालु पुत्र नारू निवासी मालियों का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के खातेदारी भूमि मौजा वेणाखेडा, पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 210 आराजी संख्या 720/27 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4320 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की होकर कब्जे काश्त होकर इसका उपभोग–उपयोग कर रही है। प्रार्थिया की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वादिया अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा वेणाखेडा, पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 210 आराजी संख्या 720/27 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4320 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थिया अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

210, 11/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)